जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक–18.11.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता मे प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्याकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक **दिनांक–18.11.2022** को जिलाधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमे निम्नलिखित सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1	श्री राज कमल यादव, जिलाधिकारी, बागपत	–	अध्यक्ष
2	श्री विपिन त्यागी, सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई उपखण्ड, बागपत	–	सदस्य
3	श्री गजेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, बडौत	–	सदस्य
4	श्री सुधीर कुमार, कार्यालय जिला पचायत राज अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
5	श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
6	श्री दिनेश कुमार अरोरा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
7	श्रीमति ज्योति बाला, खण्ड विकास अधिकारी, बडौत	–	सदस्य
8	श्रीमति सोनिका चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	–	सदस्य
9	माधव मुकुन्द, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य
10	श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद	–	सदस्य
11	श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉडिनेटर मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0.	–	सदस्य
12	श्री मानू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
13	श्रीमति तृप्ति खन्ना, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
14	श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
15	कु0 प्रिया गुप्ता, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
16	श्री श्याम सुन्दर, मै0 आर0एम0ई0 सोसाईटी, नई दिल्ली	–	सदस्य
17	श्री मौ0 अली, यू0ए0/क्यू0सी0, मै0 आरवी एसोसिट्स0, मेरठ	–	सदस्य
18	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य सचिव

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य:–

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एव टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इरकॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17

एवं 11 कुल 138 ग्रामों की 136 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनाक–07.06.2021, दिनांक–09.07.2021, दिनाक–23.07.2021, दिनाक–31.07 2021, दिनांक–27.08.2021, दिनांक–12.10.2021, दिनाक–22.10.2021, दिनांक–16.09.2022 एवं दिनाक–29.10.2022 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

वर्तमान में 08 पेयजल योजनाओं (08 ग्रामों) की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जॉच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। परन्तु 04 पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 Non-Compliance हैं। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/ 2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रू0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये 08 योजना (08 ग्राम) में से जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार Non-Compliance 04 प्राक्कलन को हटाते हुये शेष बची 04 पेयजल (04 ग्राम) के विस्तृत प्राक्कलनों जिनकी लागत रू0 5 करोड से कम है की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति करने का भी निर्णय लिया गया है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)
1	भुडपुर	बडौत	1	823	236.05	25.01	261.06	4036
2	इब्राहिमपुर माजरा	बडौत	1	497	173.62	18.39	192.01	4382
3	भडल	बिनौली	1	973	259.61	27.50	287.11	3082
4	गैडबरा	बिनौली	1	413	144.27	15.28	159.55	4965

उपरोक्त 08 पेयजल योजना हेतु प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में से 4 प्राक्कलन एवं पूर्व मे प्रेषित किये गये। 136 प्राक्कलनों में से 11 प्राक्कलन इस प्रकार कुल 15 प्राक्कलन Non-Compliance है। जिसके सन्दर्भ मे अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा निर्देशित किया गया कि Non-Compliance प्राक्कलनो के तकनीकी परीक्षण हेतु एक समिति अलग से गठित कर ली जाये जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत, जिला अर्थ एवं सख्याधिकारी, बागपत, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बड़ौत, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बागपत, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत एवं नामित फर्म के प्रतिनिधि श्री हरि प्रसाद शर्मा को सदस्य नामित किया जाये। जिलाधिकारी महोदय, बागपत द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त गठित समिति तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त अपनी विस्तृत आख्या जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी तदोपरान्त समयक विचारोपरान्त Non-Compliance प्राक्कलनो को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जायेगा।

ii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :-

जल जीवन मिशन कार्यकमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एन टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉरिंग रोड, एस.जी. हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से अद्यतन स्वीकृत 89 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष निम्नानुसार आवरण अनुबंध निष्पादित किये जा चुके है:-

क0स0	आवरण अनुबंध की संख्या	निहित पेयजल योजनाये	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1	188/ईडी/2021-22, दिनांक-18.11.2021	35	18.11.2021
2	261 /ईडी/2021-22/II, दिनांक-09.02.2022	35	09.02.2022
3	48/ईडी/फेज-2/2022-23/III, दिनांक-06.08. 2022	04	06.08.2022
4	169/ईडी/फेज-2/2022-23/IV, दिनांक-31. 10.2022	07	31.10.2022

अवशेष स्वीकृत 08 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध गठन की कार्यवाही की जानी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधो के अनुसार 81 नग (35+35+4+7) पेयजल योजनाओ पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशो के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं से लाभार्थियो को लाभान्वित कराया जाये। इसके अतिरिक्त आगामी बैठक मे स्वीकृत 89 पेयजल योजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :-

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 89 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 81 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये है। अद्यतन 65 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 60 नग नलकूप का ही विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 34 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 51 ग्रामों में 159 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग

J/M

ुह समीक्षा किये गये है। उक्त के अतिरिक्त 29 पेयजल योजनाओ के उच्च जलाशय के डिजाइन / ड्राइंग करायें गये है, जिसका परीक्षण किया जा चुका है। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओ का डिजाइन / ड्राइंग स्तर पर लम्बित है। उक्त 29 के सापेक्ष 23 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्यो की उक्त सन्तोषजनक नही है। कराये गये कार्यो के सापेक्ष रू0–18.22 करोड का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं ा मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच0पी0 शर्मा को कार्यो मे मैनपावर बढ़ाकर ुरूप वाछित एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति को बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। श्री एच0पी0 शर्मा द्वारा कराया गया कि ग्राम जौहडी (विकास खण्ड–बडौत) एवं ग्राम–मालमाजरा (विकास खण्ड–बिनौली) के ग्राम द्वारा कार्य करने मे बाधा उत्पन्न की जा रही है, इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा श्रीमति ज्योति बाला, विकास अधिकारी, बडौत को उक्त ग्राम प्रधान जौहडी से सम्पर्क कर उनकी समस्या का समाधान तत्काल के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनौली से दूरभाष पर वार्ता ग्राम मालमाजरा के ग्राम प्रधान से सम्पर्क कर समस्या का समाधान तत्काल करने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रति सप्ताह मै0 आर0पी0 ासयिट्स, मै0 मैथज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0 को निर्देशित किया एवं जल निगम के तकनीकी स्टाफ द्वारा जनाओ के निरीक्षण की वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये ताकि योजनाओं की वास्तविक थति का संज्ञान जिलाधिकारी महोदय को भी रहे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म को अवशेष नई एवं 27 पुर्नगठन जाने वाली पेयजल योजनाओ के प्राक्कलन शीघ्रतशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त विकास खण्ड पिलाना, बडौत, बिनौली एवं छपरौली मे नामित आई0एस0ए0 ग्रामीण कास ट्रस्ट द्वारा ग्राम धनौरा टीकरी मे रू. 1.00 लाख से अधिक की जल मूल्य की वसूली करने पर प्रशंसा की ायी तथा निर्देश दिये कि अन्य ग्राम पचायतों मे भी इसी तरह के प्रयास कर जल मूल्य वसूली हेतु ग्राम वासियों को ारित किया जाये।

(V) भूमि उपलब्धता:–

वर्तमान मे जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओ की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बध मे जिलाधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि निम्न 07 ग्रामों मे अद्यतन भूमि उपलब्ध नही हो पायी है। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जनपद मे कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामो की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओ को छोडकर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामो मे भूमि उपलब्ध है	उन ग्रामो की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके है	शेष ग्रामो की संख्या जिनकी डी0पी0आर0 विरचित की जा जानी है	शेष विरचित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	184	142	49	42	07

[illegible] 07 ग्रामों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी आगामी बैठक मे उनके ग्राम प्रधानो के साथ सम्बंधित लेखपाल को बुलाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये। ताकि तत्काल ही भूमि का चिन्हांकन कराकर [illegible] से हस्तान्तरण प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(vi) नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधिया–

- **जनपद बागपत हेतु नामित आई०एस०ए०–**
- 1– मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।
- 2– मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा।
- जनपद बागपत मे नामित दोनो आई०एस०ए० को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है–

क०सं०	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044।	1–बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2–खेकड़ा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृषकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०)	1–पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2–बड़ौत (44 ग्राम पंचायत)। 3–छपरौली (26 ग्राम पंचायत)। 4–बिनौली (53 ग्राम पंचायत)।

उक्त कलस्टर के सापेक्ष आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेस मे किये गये कार्यक्रम के बिल भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित बिल के सापेक्ष प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत के अनुसार ही भुगतान किया गया है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा ने अपने पत्रांक–JJM/UP/BGP/GVT/HO/27/2021-22, दिनांक–17.11.2022 द्वारा पूर्व मे आवंटित कलस्टर प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत कर शेष ग्राम पंचायत के लिये अतिरिक्त कलस्टर बनाये जाने हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। तदानुसार 05वां कलस्टर बनाकर आदेश जारी करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत को निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बागपत के पत्रांक–1072/पेय०–13/104, दिनांक–12.05.2022 के द्वारा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी किये गये थे जिसके सापेक्ष मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली 110044 द्वारा अपने पत्रांक–RME/BAGHPAT-JJMUP/2022-23/545, DATED-19-09-2022 विकास खण्ड बागपत एवं खेकड़ा मे Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृषकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ०प्र०) द्वारा अपने पत्रांक–GVT/JJM-बागपत/09/22, दिनांक–20.09.2022 द्वारा विकास खण्ड पिलाना, बड़ौत, छपरौली एवं बिनौली मे Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। जिनको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) द्वारा दिनांक–29.10.202 को किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रस्तुत देयक इस कार्यालय के पत्रांक–2658/पेय०–12/39, दिनांक–03.11.202 एवं पत्रांक–2692/पेय०–12/42, दिनांक–07.11.2022 द्वारा भुगतानार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा आई०एस०ए० को एक ऑरियेन्टेशन प्रोग्राम करने के निर्देश दिये गये। जिसमे जल की उपयोगिता पर काम कर रहे अनुभवी व्यक्तियो द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छ

[illegible] में सहभागी की भूमिका [illegible] जल बचत, पेयजल योजना का संचालन, अनुरक्षण एवं मेंटेनेंस/[illegible]
[illegible] विभिन्न प्रकरण की जानकारी भी दी जाये। ताकि पेयजल की बर्बादी को रोका जा सके तथा योजना
[illegible] उपरान्त इसका सुचारू रूप से संचालन करके लाभार्थियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

[illegible]) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितधारियों की क्षमता संवर्धन गतिविधियाँ –

जनपद बागपत हेतु नामित [illegible] प्रमुख [illegible] ट्रेनिंग [illegible], लखनऊ का जल जीवन मिशन के अन्तर्गत [illegible] ग्राम [illegible] में कुल 13 प्रशिक्षणार्थियों (02 प्लम्बर, 02 इलेक्ट्रीशियन, 02 फिटर, 02 पम्प ऑपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक [illegible]) का [illegible] प्रशिक्षण हेतु [illegible] किया गया है। उक्त जनपद में कुल 2172 तकनीकी कार्मिकों का [illegible] जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि [illegible] के निर्देश दिये गये।

अन्त में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पत्रांक [illegible] / [illegible] / 173 दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2 अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4 मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5 अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6 जिलाधिकारी, बागपत।
7 मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8 जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9 जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत।
10 जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12 अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13 अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत।
14 जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16 उपजिलाधिकारी, बागपत / बड़ौत / खेकड़ा।
17 खण्ड विकास अधिकारी, बागपत / बड़ौत / खेकड़ा / पिलाना / बिनौली / छपरौली।
18 मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्स, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉर्पोरेट रोड, एस0जी0 हाईवे अहमदाबाद।
19 मै0 आर0एम0डी0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एस0टी0सी0 गेट–1, डी0डी0ए0 कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली–110044.
20 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृष्णा भवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्ध नगर।
21 मै0 मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, मेधज टॉवर, अवधपुरी कानपुर रोड, लखनऊ–226012।

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत